

कार्यालय वन मण्डलाधिकारी कलक्टर कांकेर मण्डल कांकेर

Phone - 07868222006 (0), 222173 (Fax), 222171 (Fax) E-mail: jsknk@rediffmail.com

क्रमांक/मा.चि./2024/10511

16 AUG 2024

कांकेर, दिनांक 13/08/2024

प्रति

सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास शाखा, कांकेर
जिला-उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

शाखा प्र.अ.
अधीक्षक अपर कलेक्टर

विषय :-

Diversion of 6.50 Ha. Forest Land In Favour Tribal Development Kanker For Establishment Of Eklavya Modern Residential, School, Under Forest Conservation Act. 1980 At Village-Surhi, Tehsil -Narharpur, District- North Bastar Kanker In The State Of Chhattisgarh-Reg.
ऑनलाईन पंजीयन क्रमांक/FP/CG/SCH/153248/2022

कार्यालय कलेक्टर
(आदिवासी विकास)
उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

22 AUG 2024

शाखा
अधीक्षक

आदिवासी विकास कांकेर

01. भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, अरण्य भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19 नवारायपुर, अटल नगर (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/FC-II/ROCH-13/2022/953/Date 03.10.2022
02. मु.य.सं. कांकेर वृत्त कांकेर का कार्या.पत्र क्रमांक/मा.चि./2023/2481/कांकेर, दिनांक 29.03.2023 एवं क्रमांक/मा.चि./2023/6678/कांकेर, दिनांक 04.09.2023 एवं क्रमांक/त.अ./2024/3134/कांकेर, दिनांक 03.05.2024
03. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/मा.चि./2023/1151/दि.09.02.2023 एवं 2684/दि.13.04.2023, 4924/दि.22.06.2023 एवं 4406/दि.03.07.2023 एवं 6769/दि.03.10.2023 एवं 8270/दि.11.12.2023 एवं 955/दि.07.02.2024 एवं 2998/दिनांक 01.05.2024 एवं 3823/दिनांक 10.06.2024 एवं 1577/दिनांक 09.07.2024
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.स.अ) छ.ग. का कार्यालयीन पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/विधि/115-922/1916/रायपुर, दिनांक 11.08.2023 एवं क्रमांक/मा.चि./2023/6304/कांकेर, दिनांक 04.09.2023

-00-

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से कार्यालयीन पत्र क्रमांक/मा.चि./2022/10173/कांकेर, दि.15.11.2022 एवं क्रमांक/मा.चि./2022/11017/कांकेर, दिनांक 23.12.2022 के द्वारा सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास शाखा, जिला- उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.) को प्रकरण के पालन प्रतिवेदन में भारत सरकार द्वारा दि. 03.10.2022 को प्रथम चरण की 23 बिन्दुओं पर अधिरोपित शर्तों के तहत स्वीकृति जारी की गई है।

समस्त अधिरोपित शर्तों का पालन प्रतिवेदन पृथक-पृथक अतिरिक्त इस कार्यालय को प्रस्तुत करने बाबत लेख किया गया था, जो आज दिनांक तक अप्राप्त है।

01. स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्रमांक-III के अनुसार वैकल्पिक वृक्षारोपण वर्तमान दर 2024-2025 की राशि प्रति हेक्टेयर के दर से राशि रुपये 11,69,680/-

11,69,680 X 6.50 = 76,02,920.00

(छिहत्तर लाख दो हजार नौ सौ बीस रुपये मात्र)।

02. शर्त क्रमांक-IV में प्रत्याशा मूल्य की राशि खुला वन ECO CLASS-III के अनुसार निर्धारित राशि

प्रति हेक्टेयर के दर से राशि रुपये 957780/-

957780 X 6.50 = 62,25,570.00

(सैसठ लाख पच्चीस हजार पाँस सौ सत्तर रुपये मात्र)।

शर्त क्रमांक - III (A) की कुल राशि रुपये = 76,02,920.00

शर्त क्रमांक - IV (A) ECO CLASS-III की कुल राशि रुपये = 62,25,570.00

कुल राशि योग = 1,38,28,490.00

(एक करोड़ अड़तीस लाख अड़तीस हजार चार सौ नवसे रुपये मात्र)

आवक राशि ऑन लाईन ई-चालान जनरेट कर कम्पा खाता में अब तक जमा नहीं कराई गई है।

अतः उक्त राशि कम्पा मद में जमा कराते हुए चालान की मूल प्रति से इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके। प्रकरण शासन स्तर का सर्वोच्च प्राथमिकता में है। साथ ही प्रकरण के संबंध में विद्युत पालन प्रतिवेदन तत्काल प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। इस संबंध में वरिष्ठ कार्या. से स्मरण पत्र प्राप्त हो रहे हैं।

पृष्ठांकन क्रमांक/मा.चि./2024/10512

प्रतिलिपि :-

01. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.स.अ.) छ.ग. की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।

02. मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त कांकेर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।

03. कलेक्टर, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित।

वन मंडलाधिकारी

कांकेर वन मंडल कांकेर

कांकेर, दिनांक 13/08/2024

वन मंडलाधिकारी

कांकेर वन मंडल कांकेर